पी.ए.बी.एक्स./PABX : 26588980, 26588707, 26589336, 26589745, 26589873, 26589414
फैक्स/FAX : 011-26588662, 011-26589791, 011-26589258

तार / GRAM : विज्ञानी / SCIENTIFIC
Web-site : www.icmr.nic.in
E-mail : icmrhqds@sansad.nic.in

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)
वी. रामलिंगस्वामी भवन, अन्सारी नगर, नई दिल्ली - 110 029

DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH (MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE)
V. RAMALINGASWAMI BHAWAN, ANSARI NAGAR, NEW DELHI - 110 029

No: D-110011/1/Exp/2009-Finance

Dated, the 16th September, 2009

To

The Director/Officer-in Charge,
ICMR Institutes/Centres.

Subject: Economy instructions –

Sir,

In pursuance of Govt. of India No.7(1)E.Coord/2009 dated, the 7th September, 2009, I am directed to say that the following economy measures shall come into force in the Council with immediate effect:

i) **Seminars and Conferences:**

a) Care should be taken to keep seminars and conferences to the barest minimum including the number of participants the cost in respect of whom is to be borne by the Council.
b) No proposal for holding exhibitions/seminars/conferences abroad should be initiated without the prior approval of the Director General.
c) No meeting/Conference be held in five star hotel.

ii) **Domestic and Foreign Travel:**

a) No travel on the Council's account by air will take place by first class.
b) All domestic travel the cost in respect of which is the Council's responsibility will take place only by economy class (by Air India), irrespective of entitlement. This will cover all non-officials/experts invited at the Council's cost to attend meetings etc.
c) Proposals for participation in study tours, workshops/conferences/seminars/presentation of papers abroad at the Council's cost other than those in full compliance of the Council's approved financial assistance schemes will be entertained only if they are fully funded by the sponsoring agencies.

iii) **Purchase of vehicles:**

No proposal for purchase of vehicle will be entertained during the remaining part of the Current financial year.

iv) **Economy in expenditure:**

All previous economy instructions issued by this office from time to time covering other aspects will continue to remain in force. The head of each Institute/Centre/office should make every effort to avoid ostentatious and unnecessary expenditure. Day to day functioning should be managed with utmost economy in operating expenses.

2. This issues with the concurrence of the Financial Advisor and the approval of the Director General.

Yours faithfully,

(R.K. Sharma)
Sr. Accounts Officer

Copy to:

1. PS to DG & Secretary, DHR
2. Addl. Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health & FW, Nirman Bhavan, New Delhi w.r.t.I.D.No.28-5/2009IFD dated, the 8th September, 2009.
3. All Divisional Heads
4. All ADG(A), Sr. AO, Sr.Aco, AO & Acos.

पी.ए.बी.एक्स / PABX: 26588980, 26588707,26589336,26589745
26589873, 26589414
फैक्स / FAX : 011-26588662, 011-26859791, 011-26589258

तार/GRAM: विज्ञानी/SCIENTIFIC
web-site : www.icmr.nic.in
E-mail : icmrhqds@sansad.nic.in

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)
DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH (MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE)
वी. रामलिंगस्वामी भवन,अन्सारी नगर,पोस्ट बॉक्स 4911,नई दिल्ली-110 029
V.RAMALINGASWAMI BHAWAN,ANSARI NAGAR, POST BOX-4911, NEW DELHI-110029

सं0-डी-110011/1/व्यय /2009-वित्त

दिनांक :16.9.2009

सेवा में,

परिषद के संस्थानों / केंद्रों के
निदेशक / प्रभारी अधिकारी

विषय : आर्थिक बचत संबंधी अनुदेश

महोदय,

भारत सरकार के दिनांक 7.9.2009 के सं. 7(1)ई.समन्वय/2009 के अनुसरण में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिषद में निम्नलिखित बचत संबंधी उपायों को तत्काल लागू किया जाए :-

1. **संगोष्ठियां / सम्मेलन**

क) यह ध्यान में रखा जाए कि प्रतिभागियों की संख्या सहित ,संगोष्ठियों /सम्मेलनों के आयोजन जिनका खर्चा परिषद को करना है ,में कम से कम व्यय किया जाना चाहिए ।

ख) विदेशों में प्रर्दशनियों / संगोष्ठियों / सम्मेलनों के आयोजन के कोई भी प्रस्ताव की पहल महानिदेशक की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं की जानी चाहिए ।

ग) किसी भी बैठक / सम्मेलन का आयोजन पांच सितारा होटल में नही किया जाएं ।

ii) **घरेलू और विदेशी यात्रा**

क) परिषद के खाते से कोई भी हवाई यात्रा प्रथम श्रेणी से नहीं की जाएगी ।

ख) हकदारी के दावा किए बिना, परिषद की जिम्मेदारी से संबंधित सभी घरेलू यात्रा के खर्चे केवल किफायती श्रेणी (इकॉनॉमी क्लास) (एयर इंडिया) द्वारा ही किए जाएंगें । इसमें ,परिषद के खर्चे पर बैठकों आदि के लिए आमंत्रित सभी गैर सरकारी / विशेषज्ञ भी आते है ।

ग) परिषद की अनुमोदित वित्तीय सहायता योजनाओं के अलावा,अध्ययन दौरों में भाग लेने का प्रस्ताव , परिषद के खर्चों पर विदेशों में कार्यशालाओं / सम्मेलनों / संगोष्ठियों / पेपर प्रस्तुत करने पर होने वाले खर्चे तभी मान्य होंगें जब वे प्रायोजित एजेन्सियों द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित होंगें ।

..2..

iii) **वाहनों की खरीद**

चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान वाहन खरीदने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा ।

iv) **व्यय में बचत**

सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ,इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर पूर्व में जारी किये गए बचत संबंधी अनुदेश आगे भी लागू रहेंगे । प्रत्येक संस्थान /केन्द्र /कार्यालय के प्रमुख को दिखावटी और अनावश्यक खर्चों से बचने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए । दैनिक क्रिया कलापों के प्रचालन व्यय में कम से कम बचत की जानी चाहिए ।

2. यह वित्त सलाहकार की सहमति और महानिदेशक के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

शर्मा

(आर.के.शर्मा)
वरि. लेखा अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. महानिदेशक एंव सचिव , स्वा.अनुसंधान विभाग के निजी सचिव
2. अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, स्वा.एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,निर्माण भवन दिल्ली-आईडी सं0 28-5/2009 आई एफ डी, दिनांक 8 सितम्बर,2009 के संदर्भ में ।
3. सभी प्रभाग प्रमुख
4. सभी सहायक महानिदेशक (प्रशा0),वरि0 प्रशा0 अधि0/वरि0 लेखा अधि0,प्रशा0 एवं लेखा अधिकारी